

an>

Title: Need to take steps against mining mafias in Kanpur, Uttar Pradesh.

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे संसदीय क्षेत्र कानपुर और कानपुर देहात में खनन माफियाओं के तमाम ऐसे प्रकरण आये हैं, जो भारत का चौथा स्तम्भ हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी खनन के बारे में चिंता प्रकट की है और उन्होंने खनन को रोकने का आदेश दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, दुर्भाग्य का विषय यह है कि कानपुर देहात के गंगा और यमुना नदी के किनारे सैंकड़ों किलोमीटर की दूरी पर तमाम बड़े-बड़े खनन के ढेर लगे हुए हैं। उसके आदेश पर स्थानीय पुलिस ने उसे जब्त तो किया है, लेकिन रात के समय में स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोग पैसा लेकर उस खनन को...* के लोगों को भेजने का काम कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, 'पार्टी' नहीं। रिकॉर्ड पर नहीं जायेगा।

â€¦(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह भोले: जो व्यक्तिगत काम के लिए, अपने घर बनवाने के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं, न्यायालय के आदेश के कारण कागजी खानापूर्ति करने के लिए निर्दोष भोले-भाते लोगों को परेशान किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष :

श्री शरद त्रिपाठी,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और

भैरों प्रसाद मिश्र को श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।